न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मृदुला शेखावत, (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 4/2025

वादीया :-

1. श्रीमति सजना देवी पत्नी रिडमलराम जाति सांसी निवासी कृष्णा कॉलोनी रेलवे स्टेशन के पास बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. बुधाराम पुत्र रिडमलराम
2. शांति पुत्री रिडमलराम जातियान सांसी निवासीगण कृष्णा कॉलोनी रेलवे स्टेशन के पास बिलाडा तहसील बिलाडा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसील बिलाडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- वादी - श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता।
प्रतिवादीगण-1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी सं. 3- सरकारी पैरोकार

<u>निर्णय</u>

दिनांक :- 7/10/25

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चांदेलाव तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नंबर 236 रकाब 5.3070 हैक्टयर स्थित है। यह भूमि वादी के पति रिडमलराम पुत्र मुकनाराम की संयुक्त खातेदारी की थी। मुकनाराम जी के एक पुत्र बुधाराम तथा एक पुत्री शांति तथा पत्नी सजना देवी है। खातेदार रिडमलराम जी का देहान्त सन् 2003 में हो गया। इस कारण उपरोक्त खातेदारी भूमि का वादी के पति रिडमलराम जी का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। उसमें वादी का लिपीकीय भूलवश या त्रुटिवश सपना नाम लिख गया, जबकि वादी का वास्तविक नाम सजना देवी है।

अतः प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि ग्राम चांदेलाव तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नंबर 236 रकाब 5.3070 हैक्टयर के राजस्व रेकर्ड में सपना पत्नी रिडमलराम के स्थान पर सजना देवी पत्नी रिडमलराम की घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत नाम सपना के स्थान की दुरुस्ती की जाकर उसके स्थान पर सजना देवी का नाम रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश फरमावें।

वादीया का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 को उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी सं. 3 सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चान्देलाव की वर्तमान स्थाई जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 तक के अनुसार सपना पत्नी रिडमलराम सहखातेदार दर्ज है, ग्राम चान्देलाव के नामान्तकरण सं. 1620 रिडमलराम की विरासत का भरा गया जिसमें वादीया का नाम सपना ही दर्ज हुआ है। राजस्व रेकर्ड कें अलावा वादीया द्वारा प्रस्तुत जनआधार कार्ड, बैक पासबुक, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में वादीया का नाम सजनादेवी पत्नी रिडमलराम दर्ज है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत बिन्दु सं. 1 में अंकित दस्तावेजों में वादीया का नाम सजनादेवी

पत्नी रिडमलराम दर्ज है ग्राम चान्देलाव के राजस्व रेकर्ड के अलावा अन्य दस्तावेज में प्रार्थीया का नाम सजनादेवी पत्नी रिडमलराम अंकित है। लाड प्यार से नाम सपना पुकारते है तो नामान्तरकरण सं. 1620 स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। पटवारी हल्का चान्देलाव द्वारा तैयार फर्द मौका एवं जांच रिपोर्ट दिनांक 04.07.2025 में सपना तथा सपनादेवी एक ही महिला के दो नाम है अतः वादीया का वाद स्वीकार कर अनुतोष दिया जाता है तो जवाब देहन्दा को कोई आपति नहीं है। प्रतिवादी की ओर से दावा का खण्डन नहीं होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। वादीया की ओर साक्ष्य शपथ पत्र सजना देवी पत्नी रिडमलराम का पेश किया गया।

वादीया की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 खसरा नंबर 2036 ग्राम चांदेलाव, प्रदर्श 2 मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रदर्श 3 पैन कार्ड सजना देवी, प्रदर्श 4 पहचान पत्र, प्रदर्श 5 राशनकार्ड आदि प्रदर्शित करवाये गये।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, वादीया अधिवक्ता ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराया और वादपत्र स्वीकार कर रेकर्ड दुरूस्ती का निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 3 सरकारी पैरोकार ने जवाब के तथ्यों को दोहराया और दुरूस्ती किये जाने पर सहमति जाहिर की। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जनआधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में वादिया का नाम सजना देवी पत्नी रिमडलराम दर्ज है। ऑनलाईन जमाबंदी चौसाला 2074 से 2077 तैयार करते समय लिपिकीय भूलवश वादीया का नाम सपना पत्नी रिडमलराम दर्ज कर दी गई। इसलिए उपरोक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त किया जाना उचित है। इसलिए वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर राजस्व ग्राम चान्देलाव की जमाबंदी संवत् 2074-77 के खसरा नंबर 236 में सपना पत्नी रिडमलराम के स्थान पर सजना देवी पत्नी रिडमलराम की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 7/11/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादीया :- **बनाम** **प्रतियादीगण :-**
सजना देवी बुधाराम वगैरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
राजस्व वाद संख्या :- 4/2025

निर्णय **दिनांक :-** 7/10/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरु हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी सं. 3 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर राजस्व ग्राम चान्देलाव की जमाबंदी संवत् 2074-77 के खसरा नंबर 236 में सपना पत्नी रिडमलराम के स्थान पर सजना देवी पत्नी रिडमलराम की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक -की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रुपया	पैसे	मुदायराह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत		
			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा